प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विविध प्रार्थनापत्र संख्या 13/2020
बअनवानी प्रहलाद बनाम विनोद कुमार व अन्य

29.10.2024 अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित नही। अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। बहस हेतू पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नही। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर इस प्रकार किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुसार वाके चक 1 बी आर के सरकज नहर ओड़की के खाता संख्या 15/21 के मु0न0 9 में किला नं. 1/1 के 0.202 हैक्टे0, किला नं. 1/2 के 0.0260 हैक्टे0 गैरमुमकिन रास्ता किला नं. 9/2 में 0.2505 हैक्टे0 किला नं. 12 में 0.253 हैक्टे0, मु0न0 8 में किला नं. 5 में 0.0760 हैक्टे0 किला नं. 6 सालम कुल 1.0605 हैक्टे0 भूमि नहरी प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी चक के अन्य खाता संख्या 12/11 मे भी प्रार्थी के नाम से संयुक्त खाता में 759/6400 हिस्सा भूमि दर्ज है । प्रार्थी वर्तमान जमाबंदी के अनुसार इस भूमि का मालिक है।

अप्रार्थी के नाम से चक 1 बी आर के सरकज नहर ओड़की के खाता संख्या 30/15 के मु.न. 9 में किला नं. 2/2 में 0.0130 गैर मुमकिन रास्ता, किला नं. 2/3 में 0.1140 हैक्टे0, किला नं. 10/1 में 0.126 हैक्टे0 कुल 0.240 हैक्टे0 रकबा व मु0न0 15 में 1.645 हैक्टे0 रकबा राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

अप्रार्थी चालाक किस्म का व्यक्ति है प्रार्थी जून 2019 में जिले से बाहर किसी कार्य से गया हुआ था इस मौके का फायदा उठाते हुए अप्रार्थी ने मु0न0 9 के किला नं. 2 में स्थापित ट्युबवैल का पानी मु0न0 15 में ले जाने के लिए प्रार्थी के नाम के चक 1 बी आर के सरकज नहर ओड़की में खाता संख्या 15/21 के मु0न0 9 में किला न. 1/1 के 0.202 हैक्टे0 भूमि में 3 फुट गहरी पाईप डाल दी, जिसके सम्बन्ध में श्रीमान न्यायालय से अनुमति भी नही प्राप्त की गई। और प्रार्थी से सहमति भी नही ली गई।

जब प्रार्थी घर वापस आया और प्रार्थी को खेत में बिना अनुमति के पाईप डालने का पता चला तो प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में गांव में मौतविर व्यक्तियों की पंचायत की, पंचायत मे अप्रार्थी ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि मै पाईप उखाड़ लूंगा, कुछ समय दिया जावे जिसे पंचायत ने स्वीकार कर लिया इसके बाद अप्रार्थी ने आज तक पाईप लाईन नही हटवाई है।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के रकबे में विधि विरूद्ध रूप से स्थापित पाईपलाइन को उखाड़ने का प्रार्थी अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस आश्य कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी वाके चक 1 बी आर के सरकज नहर ओड़की के खाता संख्या 15/21 में मु.न. 9 में किला नं. 1/1 के 0.202 हैक्टे0 भूमि में स्थापित पाईपलाईन का इस्तेमाल करने से बाज व ममनू रहे। तथा अप्रार्थी प्रार्थी के रकबे में किसी प्रकार से दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब बहस में कथन किये कि चक सरकज नहर ओड़की मु0न0 9 के किला नं. 1/2 में रास्ता चलन्त है एवं 1/1 में मुझ अप्रार्थी की अण्डरग्राउड पाईप लाईन सिचांई के लिये है। मुझ अप्रार्थी द्वारा मु0न0 9 के किला नं. 2/2 में ट्यूबेल लगा रखा है एवं अप्रार्थी की कृषि भूमि मु0न0 9 के किला नं. 1/1 में मुझ अप्रार्थी द्वारा सिचाई हेतु 4 फुट गहरी पाईप लाईन कई वर्षो से डाल रखी है जिसमें अप्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि मु0न0 14, 15, 2 एवम पिता की कृषि भूमि में सिचांई करता है। मुझ अप्रार्थी द्वारा कई वर्षो से प्रार्थी की सहमति से अण्डर ग्राउण्ड पाईपलाईन डाली हुई है। एवम इसकी स्वीकृति हेतू भी माननीय उपजिलाधिश, श्रीगंगानगर के न्यायालय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ था। एवं जिसका आदेश दिनांक 29.07.2021 की प्रमाणित प्रति संलग्न की हुई है।

अप्रार्थी उक्त पाईप से अपने ट्युबेंल का पानी ले जाकर अपनी कृषि भूमि में सिचांई कर रहा है । ना तो सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में है ना ही प्राईमफेसाई केस प्रार्थी के हक में साबित है न ही प्रार्थी को अपरिमेय क्षति हो रही है। अगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:55:31 IST
Reason: SelfAttested

स्थगन आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तो अप्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से नही हो पायेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम सव्यय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29.07.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी विनोद कुमार द्वारा प्रार्थी प्रहलाद के कृषि भूमि खाता संख्या 15/21 के मु0न0 9 के किला नं. 1/1 की उत्तरी दिशा में पाईप द्वारा सिंचाई पानी हेतु 4 फुट गहराई में पाईप लाईन डालने के स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29 अक्टुबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:35:31 IST
Reason: SelfAttested